



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 आषाढ़ 1939 (श10)
(सं० पटना 558) पटना, वृहस्पतिवार, 29 जून 2017

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचनाएं
29 जून 2017

अधिसूचना संख्या 15/2017-राज्य कर (दर)

एस० ओ० 93 दिनांक 29 जून 2017—बिहार के राज्यपाल, बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का बिहार अधिनियम 12) की धारा 54 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित करते हैं कि बिहार माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का बिहार अधिनियम 12) की धारा 54 की उपधारा (3) के अधीन अनुपयोजित इनपुट कर प्रत्यय के प्रतिदाय को बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की अनुसूची 2 की मद 5 की उपमद (ख) में विनिर्दिष्ट सेवा की आपूर्ति की दशा में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जी एस टी/विविध-13/2017-15)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुजाता चतुर्वेदी,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

29 जून 2017

एस०ओ० 94, एस०ओ० 93 दिनांक 29 जून 2017 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जी एस टी/विविध-13/2017-15)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुजाता चतुर्वेदी,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

The 29th June 2017

Notification No. 15/2017-State Tax (Rate)

S.O. 93, dated 29th June 2017— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 54 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (Bihar Act 12 of 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council hereby notifies that no refund of unutilised input tax credit shall be allowed under sub-section (3) of section 54 of the said Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 in case of supply of services specified in sub-item (b) of item 5 of Schedule II of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of July, 2017.

[(File No. Bikri-kar/GST/vividh-13/2017-15)]

By the order of Governor of Bihar,

SUJATA CHATURVEDI,

*Commissioner-cum-Principal Secretary,
Commercial Taxes Department.*

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,

बिहार गजट (असाधारण) 558-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>